न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2018-00271Ju2018-126 Bhainaram etc Vs Mangilal etc

---

01. भैनाराम पुत्र श्री खींयाराम
02. प्रेमाराम पुत्र श्री सुजाराम जातियान् विश्नोई, निवासीगण- फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. मांगीलाल पुत्र रूपाराम
02. गोपाराम पुत्र रूपाराम
03. हणुताराम पुत्र रूपाराम (आदेश दिनांक 20.02.2020 के जरिये नाम तर्क)
04. मेकाराम पुत्र हणुताराम
05. बाबुलाल पुत्र हणुताराम
06. छोगाराम पुत्र हणुताराम
07. श्रवण पुत्र गोपाराम सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण खसरा नं. 376 ग्राम हमीर नगर, पटवार क्षेत्र फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
08. भभूताराम पुत्र भानाराम
09. देवाराम पुत्र भानाराम
10. घेवरराम पुत्र भानाराम
11. राजेश पुत्र भानाराम
12. फुलीदेवी पुत्री श्री भानाराम
13. समुदेवी पुत्री श्री भानाराम
14. साजनराम पुत्र हमीरराम
15. सांवताराम पुत्र हमीराराम निवासी- खसा नं. 368 ग्राम हमीर नगर पटवार क्षेत्र फींच तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।
17. खंगारराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई
18. गोगी पुत्री काछबराम पत्नि खंगारराम जाति विश्नोई
19. देवाराम पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई,
20. हीराराम पुत्र मोहनराम जाति विश्नोई, निवासीगण- हमीरनगर फींच तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 06 जून 2018 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 20/2014 मांगीलाल व अन्य बनाम भींयारा इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1, 2, 7
श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17 से 20
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 04 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 20/2014 मांगीलाल व अन्य बनाम भीयाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 03 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो./प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर खसरा नं. 376 व 368 में आवागमन हेतु अपीलांट्स के खेत खसरा नं. 385 में से रास्ते की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जो जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार से प्राप्त मौका फर्द के आधार पर पत्रावली को कैम्प कोर्ट सरेचा में रखकर दिनांक 06 जून 2018 को अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर जिस तरह से आदेश पारित किया है, वैसा आदेश धारा 251-ए के प्रावधानों के तहत पारित ही नहीं किया जा सकता था। इस मामले में धारा 251-ए के प्रावधान लागू ही नही होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश धारा 251-ए के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस प्रावधान की मूल भावना के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251-ए चलने योग्य ही नहीं था, क्योंकि उसे वास्तव में किसी रास्ते की आवश्यकता ही नहीं थी। खसरा नं. 376 एवं 368 की भूमि पर आवागमन हेतु पहले से ही कटाणी रास्ते उपलब्ध है तथा मौके पर सड़क बनी हुई है, जिससे खसरा नं. 368 का खातेदार आवागमन करता है। इस खसरे के समानांतर लगभग 300 फुट लम्बाई की सड़क स्थित है, जिसका उपयोग खसरा नं. 368 पर उपयोग एवं आवागमन किया जाता रहा है, वह सड़क फींच से रोहिचा कला जाने वाली सड़क है व मौके पर मुरड़ रोड़ नरेगा कार्यक्रम के तहत निर्मित हो चुकी है व इसका खसरा नं. राजस्व रेकर्ड में 417 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है। खसरा नं. 381 कटाणी रास्ता है जो खसरा नं. 379 तक चलता है व नाडी खसरा नं. 363 तक जाता है। खसरा नं. 362 नाडी की अंगोर में सें रास्ता चलकर खसरा नं. 377 व 376 में जाता है व इसी अंगोर से रास्ता चलकर नाडी खसरा नं. 365 जो खसरा नं. 376 के चिपते हुए स्थित है व मौके पर खसरा नं. 377 व 376 की पश्चिमी मांठ पर रास्ता मौके पर वर्षो से चल रहा है। इस प्रकार खसरा न. 368 एवं 376 के खातेदारों के लिए पहले से सुविधा जनक चालु रास्ता उपलब्ध है। किसी अन्य रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। अपीलार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ तमाम राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे की प्रतियां पेश की थी, परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा उन पर कोई विचार ही नहीं किया गया एवं जल्दबाजी में फैसला कर दिया गया। रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र में नाडी, तालाब अंगोर इत्यादि सें भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रास्ते कीद मांग की है, ऐसी भूमियों के बारे में रास्ते संबंधी कोई आदेश कानूनन नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 385 में से कोई रास्ता कभी भी नहीं चलता था। पत्रावली अप्रार्थीगण के तामील में रखी हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पत्रावली को केम्प कोर्ट में रखकर फैसला कर दिया तथा निर्णय में फरीकेन की उपस्थिति दर्ज कर दी गई। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु पहले से ही सुविधा जनक एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं उन्हें नये रास्ते की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मूल प्रार्थना पत्र 251-ए में वर्णित अन्य अप्रार्थीगण को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया, क्योंकि उनके विरुद्ध अपीलार्थीगण को कोई अनुतोष नहीं चाहिए। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 जून 2018 को खारिज फरमाया जावें।

जवाब में विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेंट संख्या 01,02,07 एवं 17 से 20 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 के जरिये अपीलांट के खेत खसरा नं. 385 में सें रास्ता प्रदान किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 17 से 20 खसरा नं. 372 ग्राम हमीरनगर फींच के खातेदार है तथा अपीलाधीन आदेश में खसरा नं. 372 में सें भी रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है। जिस आदेश में रेस्पोडेंट संख्या 17 से 20 की पूर्ण सहमति थी, परन्तु खसरा नं. 385 के खातेदारान् द्वारा विवाद कर अपील प्रस्तुत की गई है। **अब रेस्पोडेंट संख्या 17 से 20 खसरा नं. 372 में सें 3 गद्ठा भूमि रास्ते हेतु देने के सहमत है, जो भूमि खसरा नं. 372 की उत्तरी माठ के सहारे-सहारे रास्ते हेतु दी जायेगी जो रेस्पोडेंट संख्या 17 से 20 के द्वारा वांछित रास्ते के रूप में रहेगी अर्थात् खसरा नं.**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

372 में 3 गट्ठा भूमि चौड़ाई मे जो कि पूर्व से पश्चिम तक होगी। रास्ते हेतु बिना प्रतिकर के दिये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते है। इस बाबत प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 01 से 15 से कोई प्रतिकर नहीं लेंगे तथा उपरोक्त दी जाने वाली भूमि के रूप में इन्दाज किया जाकर मौके पर रास्ता कायम किया जाये तो उसमें रेस्पोडेंट संख्या 17 से 20 की पूर्ण सहमति है। अंत में रेस्पोडेंट्स संख्या 01,02 एवं 07 एवं रेस्पोडेंट संख्या 17 से 20 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 17 से 20 के प्रार्थना पत्र के अनुरूप **खसरा नं. 372 में सें 3 गट्टा चौड़ाई में रास्ते की भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में से कम कर रास्ते हेतु दिया जाकर मौके पर रास्ता कायम किये जाने का आदेश फरमावें।**

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन रास्ते के विरुद्ध खसरा नं. 385 के खातेदार अपीलार्थीगण आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई तथा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने का कथन कर खसरा नं. 385 में सें रास्ते का आदेश निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई। **वहीं खसरा नं. 372 के खातेदारान् ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनका खसरा नं. 372 खसरा नं. 385 के समानांतर आया हुआ है। खसरा नं. 385 में सें दिये गये रास्ते को खसरा नं. 372 की उत्तरी माठ के सहारे-सहारे दिये जाने जाने का निवेदन किया।** रेस्पोडेंट संख्या 17 से 20 (प्रार्थीगण) ने उक्त रास्ते की चौड़ाई 3 गट्टा किये जाने का निवेदन किया तथा रास्ते में जाने वाली भूमि की प्रतिकर राशि भी नहीं लेने में सहमति प्रदान की। रास्ते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को खसरा नं. 385 के बजाय खसरा नं. 372 में स्थानांतरित किये जाने पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने भी प्रार्थीगण के प्रस्ताव में सहमति प्रदान की । इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मे उभय पक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया जाना अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश 06 जून 2018 को संशोधित किया जाकर प्रदत पूरे रास्ते को खसरा नं. 385 की बजाय खसरा नं. 372 में सें 03 गट्ठा चौड़ाई (रकबा 01.10.15 बीघा) का दिये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी तरह प्रदत खसरा नं. 367, 377, 378, 379, 376, 368, 375, 375/3, 375/1, 369, 369/1, 369/2, 369/3 में सें प्रदत संपूर्ण रास्ते की चौड़ाई 4 गट्ठा की जगह 3 गट्ठा की जाती है। तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि वह (3 गट्ठा चौड़ाई के अनुसार) **रकबे की गणना कर राजस्व रेकर्ड में राज्य हित में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर तरमीम अंकित करे।**

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर